

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 700304/16

संस्थित दिनांक-06.06.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

जसमन्त पुत्र केदारसिंह नरवरिया उम्र 41 साल

निवासी दौनियापुरा थाना गोरमी जिला भिण्ड म0प्र0अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 30.03.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 02.06.16 को 17:30 बजे अपैक्स कॉलेज के सामने भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक एम0पी0-07 जी0ए0-2975 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि फरियादी/आहत द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर अभियुक्त को भादवि0 की धारा 337 का उपशमन किया गया। इस निर्णय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 279 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी अजय अपनी भाभी भारती जाटव के साथ मेहगांव से लोडिंग गाडी क्र0 एम0पी0-07 जी0ए0-2975 से दिनांक 02.06.16 को आ रहा था। गोहद चौराहा के आगे अपैक्स कॉलेज के सामने उक्त वाहन के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर आगे जा रहे गैस के ट्रक क्र0 एम0पी0-31 बी0ए0-7086 में टक्कर मार दी जिससे फरियादी व उसकी भाभी भारती को चोटें आईं। उक्त आशय की सूचना से देहाती नालिसी लेख की गयी, अपराध क्रमांक 127/16 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। दौरान अनुसंधान घटना स्थल का नक्शामौक बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, जब्ती कर जब्ती पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्त को पद क्र 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य न होने से दफ़्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 02.06.16 को 17:30 बजे अपैक्स कॉलेज के सामने भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक एम0पी0-07 जी0ए0-2975 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में अजय अ0सा0 1, भारती अ0सा0 2 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

7. फरियादी अजय अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि घटना आज से करीब एक साल पहले शाम के 5:45 बजे की है। वे मालनपुर मैक्स गाडी में बैठकर जा रहे थे उनके साथ उनकी भाभी भारती थी। गाडी को उसका चालक चला रहा था। गोहद के आगे अपैक्स कॉलेज के सामने उनकी गाडी के आगे चल रहे ट्रक में उनकी गाडी टकरा गयी जिससे उसे तथा उसकी भाभी को चोटें आईं। साक्षी यह कथन करता है कि वह टक्कर के बाद बेहोश हो गया था। उसने कोई नंबर नहीं देखा और न ही यह बताने में समर्थ है कि वाहन कौन चला रहा था। यह भी कथन करता है कि कथित ट्रक मौके पर नहीं रुका, किसी के बुलाने पर 100 नंबर गाडी आ गयी थी और कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराए इसके बाद अस्पताल ले गए। साक्षी को पक्षद्रोही घोषितकर सूचक प्रश्न में लोडिंग नंबर एम0पी0-07 जी0ए0-2975 के चालक द्वारा उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर आगे जा रहे ट्रक में टक्कर मार देने का सुझाव दिए जाने पर साक्षी द्वारा इस तथ्य से इंकार किया है और स्वतः कथन किया है कि ट्रक अचानक से रोक दिया था। साक्षी इस प्रकार से कथित ट्रक के द्वारा अचानक से रोक देने के आधार पर टक्कर होना बताता है। साक्षी देहाती नालिसी प्र0पी0 1 व नक्शामौका प्र0पी0 2 पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार करता है किन्तु देहाती नालिसी प्र0पी0 1 में बी से बी भाग तथा पुलिस कथन प्र0पी0 3 में ए से ए भाग पर कथित लोडिंग नंबर एम0पी0-07 जी0ए0-2975 के चालक द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से दुर्घटना कारित किए जाने के तथ्य लिखाए जाने से इंकार करता है।

8. श्रीमती भारती अ0सा0 2 भी अजय अ0सा0 1 के समान ही कथन करते हुए बताती हैं कि वे और उनका देवर अजय मालनपुर मैक्स गाडी में बैठकर जा रहे थे। गोहद अपैक्स कॉलेज के सामने आगे चल रहे ट्रक में उनकी गाडी टकरा गयी। यह साक्षी भी टक्कर के बाद बेहोश हो जाने का

कथन करती है और यह साक्षी भी कोई नंबर बताने में अस्मर्थ है। साक्षी पुलिस को कोई कथन दिए जाने के तथ्य से भी इंकार करती है। सूचक प्रश्नों में भी यह साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में कथित लोडिंग नंबर एम0पी0 07 जी0ए0-2975 के चालक द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से ट्रक में टक्कर मार देने के तथ्य से इंकार करते हुए पुलिस कथन प्र0पी0 4 में इस संबंध में तथ्य ए से ए भाग का लिखाए जाने से इंकार करती है। इस प्रकार से अभियोजन के दोनों सर्वोत्तम साक्षी व आहतगण अभिकथित घटना में कथित लोडिंग नंबर एम0पी0-07 जी0ए0-2975 की लिप्तता के संबंध में इंकार करते हैं।

9. प्रकरण में अजय अ0सा0 1 व श्रीमती भारती अ0सा0 2 अपने सूचक प्रश्नों में न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को देखकर कथन करते हैं कि अभियुक्त अभिकथित लोडिंग को नहीं चला रहा था। ऐसे में उक्त साक्षियों ने अभियुक्त की अपराध में लिप्तता के तथ्य को संदिग्ध कर दिया है। प्रकरण में अभियुक्त के आधिपत्य से घटना दिनांक को कोई वाहन भी जब्त नहीं किया गया बल्कि अभियोगपत्र में संलग्न जब्ती पत्रक के अनुसार दिनांक 03.06.16 को अभियुक्त के आधिपत्य से लोडिंग के दस्तावेज पंजीयन, बीमा तथा चालक अनुज्ञप्ति होना दर्शाई है। ऐसे में जहां अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में आहतगण द्वारा जो कि उसी वाहन में बैठे थे, कोई कथन नहीं किया गया है। ऐसे में उसके आधिपत्य से मात्र दस्तावेजों की जब्ती के आधार पर उसके उपेक्षा व उतावलेपन पूर्ण कृत्य को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

10. अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आहतगण का अभियुक्त से राजीनामा हो गया है इस कारण से उनका कथन विश्वसनीय नहीं हैं। राजीनामा अभिलेख पर है किन्तु साक्षियों द्वारा कथित राजीनामा के कारण असत्य कथन किए जाने के सुझाव से इंकार किया है। जहां तक देहाती नालिसी प्र0पी0 1, पुलिस कथन प्र0पी0 3 व 4 का प्रश्न है तो वे सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते। न्यायदृष्टान्त- रवि कुमार वि0 स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दफ़्त के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है। प्रकरण में फरियादी अजय अ0सा01 द्वारा देहाती नालिसी प्र0पी0 1 के विनिर्दिष्ट भाग तथा धारा 161 दफ़्त के कथनों क्रमशः प्र0पी0 3 व 4 में साक्षियों द्वारा तात्विक विरोधाभास व लोप का कथन किया है ऐसे में अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है।

11. संहिता की धारा 279 के आरोप को प्रमाणित किए जाने हेतु अभिलेख पर इस संबंध में साक्ष्य होना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा लोकमार्ग पर उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन को चलाया

जावे। संपूर्ण अभियोजन साक्षियों जो सर्वोत्तम साक्षी थे, उनके द्वारा अभियुक्त के वाहन चलाए जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया है। अभियोजन के सभी साक्षी पक्षद्रोही घोषित कर दिए गए हैं। अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। संदेह का लेशमात्र भी अभियुक्त की घटना में संलिप्तता को खण्डित कर अभियुक्त को संदेह का लाभ दिलाए जाने का आधार होता है। अभियुक्त के आधिपत्य से वाहन के दस्तावेज मात्र जब्त हो जाने से यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि उसके द्वारा वाहन लोकमार्ग पर घटना के समय चलाया जा रहा था। अतः अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्तकर दोषमुक्त का पात्र है। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती हैं, उसके निवेदन पर मुचलके 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

13. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि हो तो इस संबंध में प्रमाणपत्र बनाया जावे

14. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही/-

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही/-

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश